Affiliated To : Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, Ranchi
Regtn. No. (SRA - 1860) : 708/2009-10 (Govt. of Jharkhand)

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर
SANTAL PARGANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES, DEOGHAR

spccideoghar.2021@gmail.com | www.spccideoghar.in

PRESIDENT
ALOK KR. MALLICK
9934503132 | 8409386865

GENERAL SECRETARY
PRAMOD CHHAWCHHARIA
8709873483 | 9431132221

पत्रांक : SPCCI-21/2021-23 दिनांक : 26.03.2022

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड।
माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड।

विषय : बाजार समिति शुल्क को अप्रत्यक्ष रूप से फिर से प्रभावी करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में।

महोदय,

संताल परगना चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, देवघर की ओर से अभिवादन!

कल 25 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित झारखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 से राज्य के व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बन रही है और अंदेशा जताया जा रहा है कि राज्य में फिर से अप्रत्यक्ष रूप से 2 प्रतिशत बाजार समिति शुल्क लगाये जाने का प्रावधान किया गया है।

विदित हो कि विगत वर्षों में बाजार समिति शुल्क से राज्य के व्यापारी वर्ग त्रस्ट होकर इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली तथा काले शुल्क के रूप में मानती थी। पूरे राज्यभर से विभिन्न चेम्बर तथा व्यापारिक संगठनों की लगातार मांगों और आंदोलनों एवं काफी लंबे जद्दोजहद के बाद पिछली सरकार ने इसे खत्म किया था और इस शुल्क के समाप्त होने से किसानों तथा व्यापारियों को राहत मिली थी। इस शुल्क से सरकार को जितना राजस्व संग्रह नहीं होता था, उससे कहीं ज्यादा मंडियों तथा हाट–बाजारों में इसके नाम पर अवैध वसूली, भयादोहन और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे।

कृपया निम्नलिखित तथ्यों पर गौर कर इस तरह के सेस या टैक्स को लागू करने से पहले सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

1. वर्तमान में हमारे पड़ोसी राज्य बिहार सहित सामान्यतया किसी भी अन्य राज्यों में बाजार समिति शुल्क नहीं है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और कृषि मूल्य के लागत में जुड़ जाता है। अतः अपने राज्य में इस शुल्क को पुनः लगाये जाने पर यहां कृषि उत्पादों के लागत मूल्य बढ़ेंगे जिससे यहां के किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों की खरीद–बिक्री में नुकसान उठाना पड़ेगा तथा इनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, जबकि इसका फायदा पड़ोसी राज्य के कृषि व्यापारियों को मिलेगा।
2. झारखण्ड मुख्य रूप से एक उपभोक्ता राज्य है जहां अधिकतर कृषि उत्पादित वस्तुएं देश के अन्य राज्यों से आती है। अतः बाहर से मंगाये जाने वाले उत्पादों पर यहां कृषि शुल्क लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। शुल्क लग चुके वस्तुओं पर झारखण्ड में भी अलग से टैक्स या शुल्क लगाये जाने की स्थिति में एक ही वस्तु पर दुबारा शुल्क लगने के कारण महंगाई बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
3. इस शुल्क के पुनः लागू होने पर झारखण्ड के मुख्य उत्पादन धान की मूल्यवृद्धि होगी जिससे हमारे यहां चावल के दाम पड़ोसी राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मुकाबले ज्यादा हो जायेगी। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में यहां के चावल का व्यापार अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने लगेंगे।

इन परिपेक्ष्यों में किसानों तथा व्यापारियों के हित में फिर से बाजार समिति शुल्क या ऐसे किसी अप्रत्यक्ष सेस या टैक्स लागू करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और चेम्बर इसका विरोध करती है।

अतः अनुरोध है कि झारखण्ड के किसान, कृषि–उपज बाजार और व्यापारियों के हित में प्रतिकूल बाजार समिति शुल्क को फिर से प्रभावी नहीं बनाया जाय।

आपका ही,

आलोक कुमार मल्लिक
अध्यक्ष

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव एवं कृषि सचिव झारखण्ड।

VICE PRESIDENT
UMESH RAJPAL
9431781598 | 7250784754

VICE PRESIDENT
SANJAY MALVIYA
9431134670 | 9576616022

VICE PRESIDENT
PIYUSH JAISWAL
9431163649 | 7717726102

JOINT SECRETARY
ANAND SAH
8521594569

TREASURER
DEEPAK SARAIYAN
9386651205